न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 15 / 2022

डा.रामकिशन पोहिया पुत्र घीसाराम निवासी 152, दीनदयाल नगर, आर0बी0एम0 अस्पताल के पीछे भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, भू.अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.03.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट डा.रामकिशन पोहिया पुत्र घीसाराम निवासी 152, दीनदयाल नगर, आर0बी0एम0 अस्पताल के पीछे भरतपुर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 19.10.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 145 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने वावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्टेट्र भरतपुर से उनके पत्र कमांक / एलआर / रिकार्ड / 09 / 2021 / 1947 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्टेट्र भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्टेट्र भरतपुर से प्राप्त जबाब कमांक / एलआर / रिकार्ड / 09 / 2021 / 1947 दिनांक 25.03.2022 का अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्टेट्र भरतपुर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में पत्र कमांक कमांक / एलआर / रिकार्ड / 09 / 2021 / 8803 दिनांक 15.12.2021 से दो पृष्ठों की सूचना हेतु शुल्क 4 रू0 / – जमा कराये जाने हेतु अपीलान्ट को पत्र जारी किया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित राशि जमाकोष न कराये जाने के वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। इससे जाहिर होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना उपलब्ध करा दी है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्टेट्र भरतपुर से प्राप्त पत्रादि के साथ) प्रेषित की जावे एवं निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग कलक्टेट्र भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर